



गण ठिका

दस शिखा

कडु, 000000

१९८५/०५

पत्रात ०१५

दहा रुपये

७७७७७७७७

२२२२२२२२

२२२२२२२२

NOT NEGOTIABLE

अपरक्राम्य


# भारतीय पोस्टल आर्डर INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

PAY TO Power grid Corporation

of India

दस रुपए की रकम THE SUM OF RUPEES TEN ONLY



भारतीय डाक  
भारत  
भारतीय डाक  
भारत

भारत  
भारत

२२२२२२२२

डाक टिकट

POSTAGE STAMPS

₹ 10

AT THE POST OFFICE AT

कमीशन COMMISSION रुपए 1RUPEE

प्रेषक अपना नाम और पता यहाँ लिखें।  
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE

गिरधारी लाल शर्मा

शान्ति स्थल नगर, कलिया दर, गु

गिआ गिख गुड्डु ०५०००

२२२२२२२२

के डाकघर में अदा करें।

DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

डाकघर के नीचे मत लिखिए

54F 961736

पोस्ट मास्टर  
POSTMASTER

*[Signature]*

२२२२२२२२

२२२२२२२२

२२२२२२२२

38-675  
15/11/21

प्रपत्र-एक  
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005  
(सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत)

आवेदन-पत्र

- 1- आवेदक का नाम: गिरधारी लाल जाट
- 2- पूरा पता/ई-मेल/फैक्स जिस पर जानकारी प्रेषित की जानी है: girdharilaljat9460840400@gmail.com
- 3- दुरभाष क्रमांक: 9460840400
- 4- आवेदन देने का दिनांक 12-11-2021
- 5- कार्यालय का नाम: पावटी ग्रुप कॉर्पोरेशन डाक इंडिया लिमिटेड
- 6- चाही गयी जानकारी का विवरण:

① 400 के बी कि लॉटिंग लगने के दौरान पेडो डो डालने के उपरान्त प्रति पेडो डिस्म के हिसाब से कितना मुआवजा दिया जाता है अलग-अलग डिस्म के पेडो को डालने के लिए मुआवजा राशि क्या है उसकी सूची प्रदान कि जाये।


नोट:- जानकारी आवेदक के मेल आई. girdharilaljat9460840400@gmail.com अथवा वाट्सएप नम्बर 9460840400 पर अथवा PDF फॉर्मेट में भेजा है अथवा प्रार्थना के पता - V10 - धडेल नगर, कालिडा, तहसील व जिला लोडक पर भी प्रेषित कि जा लगेगी है

- 7- क्या चाहते हैं, नकल/निरीक्षण/रिकॉर्ड निरीक्षण/रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति/प्रमाणित नमूना
- 8- आवेदक के साथ सदा किये जाने वाले प्रोसेस की फीस-रूपये 10/-रूपये पोस्ट ऑर्डर नं० 10/-नगद/स्टाम्प/पोस्टल ऑर्डर (बी.पी.एल सूचना के सदस्य को देय नहीं) रसीद क्रमांक

(प्रतिलिपि शुल्क जो भी होगा आवेदक जमा कराने को तैयार हैं)

- 9- क्या आवेदक गरीबी की रेखा के नीचे है अथवा नहीं:  
यदि हाँ तो बी०पी०एल सूची का अनुक्रमांक:

हाँ/नहीं।



हस्ताक्षर

(आवेदनकर्ता)

टिप्पणी: यदि आवेदक द्वारा डाक से आवेदन प्रेषित किया जाता है तो आवेदन पत्र रूपये 10/ नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प चसपा करते हुए स्वयं का पता अंकित करते हुए आवश्यक राशि का ड लगा लिफाफा संलग्न प्रेषित करे।

पावती

- 1- आवेदन प्राप्त होने का दिनांक.....
- 2- आवेदनकर्ता को वांछित जानकारी प्राप्त करने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपरिष्ठ दिनांक ..... (लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रांथिक

दिनांक.....  
हस्ताक्षर

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर  
पद नाम (रबर सील)

Reg. Post with A.D.



To,

General manager  
Power grid Corporation of India  
National Highway No. 11  
Village - Bhadrachalam  
Dist - SIKR (3323)  
Periyatham

Vinodhan Red Seal  
Vedhul Nagar,  
Kothida, srm  
No- 99 60840402

राजस्थान सरकार

## कार्यालय उप वन संरक्षक, सीकर (राजस्थान)

(सांवली रोड़, सीकर-332001; Ph. No. 01572-274094; email : dcf.sikar.forest@rajasthan.gov.in, dcf.sikar@gmail.com)

क्रमांक : एफ ( ) सर्वे/उवसंसी/2020-21/11121

दिनांक : 24/12/2020

निमित्त: उप महाप्रबंधक,  
पावर ग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिसन सिस्टम लि०  
भढाडर, सीकर।

विषय:-400 के० वी० डी/सी खेतड़ी-सीकर पारेषण लाइन के निर्माण कार्य के पारेषण पथ में आने वाले पेड़ों के मुहावजे निर्धारण हेतु आंकड़े उपलब्ध कराने के संबंध में।

संदर्भ:-आपका पत्रांक दिनांक 02.09.2020 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आपने संदर्भित पत्र से खेतड़ी-सीकर पारेषण लाइन के निर्माण कार्य के पारेषण पथ में आने वाले पेड़ों के मुहावजे निर्धारण हेतु आंकड़े उपलब्ध कराने के संबंध लिखा था। जिसके संबंध में उपवन संरक्षक, विभागीय कार्य मंडल, जयपुर के पत्रांक 1135 दिनांक 11.08.2020 में दी गई दरों के आधार पर आप द्वारा चाही गई सूचना निम्नानुसार प्रेषित है-

पेड़ों के मूल्य निर्धारण के लिए प्रजातिवार कोई सूची निर्धारित नहीं है। विदोहित की गई लकड़ी मुख्यतः दो प्रकार की होती है-

1. इमारती लकड़ी:- जैसे शीशम, नीम, बबूल, सफेदा, रोहिडा, सीरस, सागवान आदि के वृक्षों से प्राप्त लकड़ी।
2. जलाऊ लकड़ी:- जैसे विलायती बबूल, गुलमोहर, बड़, पीपल, अरडू, अशोक, बकायन, छलील, केशिमा, श्यामा, खेजड़ी, पलाश, रोंझ, शहतूत आदि के वृक्षों से प्राप्त लकड़ी।

इमारती किस्म की लकड़ी के आंकलन का भी एक निश्चित तरीका है इमारती किस्म के पेड़ों की लकड़ियां जिनकी गोलाई 60 सेमी. से अधिक तथा कम से कम 3 मीटर सीधी लकड़ी हो उसे इमारती लकड़ी की श्रेणी में माना जाता है एवं 60 सेमी. से कम गोलाई वाली जलाऊ लकड़ी मानी जाती है। इमारती प्रजाति की टेढी-मेढी एवं खोखली लकड़ी जलाऊ में आती है। वर्ष 2019-20 में नीलाम की गई लकड़ियों की औसत दर निम्नानुसार रही है-

1. पंचमेल जलाऊ - 250/- प्रति क्वि.
2. इमारती बबूल - 485/- प्रति क्वि.
3. इमारती सफेदा - 400/- प्रति क्वि.
4. इमारती शीशम - 1400/- प्रति क्वि.
5. इमारती रोहिडा - 700/- प्रति क्वि.

उल्लेखनीय है कि जलाऊ व इमारती लकड़ी की विक्रय दर लकड़ी की मात्रा, किस्म, लकड़ी की गुणवत्ता एवं बाजार की मांग पर निर्भर करती है और दरें उपर नीचे होती रहती है।

भवदीय

(भीमा राम चौधरी)  
उप वन संरक्षक  
सीकर